भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2002
दिनांक 08.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन से आने वाले तकनीशियनों को वीजा मिलने में देरी

2002. **श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार चीन से आने वाले इंजीनियरों और तकनीशियनों को वीजा मिलने में देरी को कम करने के लिए एक रूपरेखा बनाने की दिशा में काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चीन से आने वाले इंजीनियरों और तकनीशियनों को वीजा मिलने में देरी के संबंध में देश में व्यवसायिक फर्मों से कोई अभ्यावेदन या शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन व्यवसायिक फर्मों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों को नियुक्त करने के कारण क्या हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) और (ख) सरकार, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए चीनी नागरिकों (विशेषज्ञों /इंजीनियरों/तकनीशियनों) सहित विदेशी नागरिकों को व्यावसायिक वीज़ा जारी करने को अधिकृत करती है, जिन्हें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना या सरकार की किसी अन्य समान योजना के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा नियोजित किया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पीएलआई से संबंधित उद्योग इस सुविधा के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) सरकार के वर्तमान नियमों के आधार पर वीजा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार ने आम तौर पर प्रासंगिक नियमों और नीति की सीमाओं के तहत घरेलू विनिर्माण को सहायता प्रदान करने के लिए व्यापार और रोजगार वीजा के लिए एक सुविधाजनक दृष्टिकोण अपनाया है।
